

# Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 180-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017 (ASVINA 20, 1939 SAKA)

# हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 13 अक्तूबर, 2017

संख्या 99/एसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप—धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में, आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

### संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में क्रम संख्या 9 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् .—

"10	भारतीय रिजर्व बैंक की ओवेरसींइग कमेटी के	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित	भारतीय रिजर्व
	सदस्यों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति	ओवेरसींइग कमेटी के सदस्य	बैंक।''।

संजीव कौशल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

## HARYANA GOVERNMENT

## EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

#### Notification

The 13th October, 2017

No. 99/ST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification number 48/ST-2 dated the 30th June, 2017, namely:-

#### Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification number 48/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table, after serial number 9 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely: -

|--|

SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

55677-C.S.-H.G.P., Chd.